विक्रमादित्य गुप्ता

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर । मध्य प्रदेश ।

==

पुन:रीक्षण क्र0- R 1414 II/13 . सन् -

रामस्वरूप तनय स्व0 श्री सुन्दर लाल तिवारी
आयु 65 वर्ष निवासी नौगांव तहसील नौगांव
जिला- छतरपुर । म0प्र0। --- पुन :रीक्षणकर्ता

विरूद्ध

मनीष कुमार त्रिवेदी आयु 34 वर्ष तनय श्री
वेदप्रकाश दुबेदी निवासी टीकमगढ़ तहसील
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ । म0प्र0। --- अनावेदक

पुन:रीक्षण विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक-
05/03/2013 प्रकरण क्र0- 47/अपील/2012-
13 द्वारा न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय
अधिकारी महोदय नौगांव जिला-छतरपुर म0प्र0

श्रीमान् ,

उपरोक्त पुन :रीक्षणकर्ता सादर निम्न लिखित विनय करता है :-

1- यह कि पुन:रीक्षणकर्ता/उत्तरवादी के विरूद्ध अनावेदक/अपीलार्थी ने नामान्तरण पंजी क्र0- 2 वर्ष 1993=94 में पारित आदेश दिनांक 26/03/1994 को निरस्त कराने हेतु और अनावेदक/अपीलार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में विक्रय पत्र दिनांक- 09/07/1992 के आधार पर किए जाने हेतु अपील प्रस्तुत की थी तथा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने हेतू अवधि अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था ।

2- यह कि अनावेदक/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अवधि अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था जिसका विधिवत उत्तर पुन:रीक्षणकर्ता/उत्तरवादी ने प्रस्तुत कर पुन:रीक्षणकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया और श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने उभय पक्ष के तर्क श्रवण कर अनावेदक/अपीलार्थी का अवधि अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र विधि विपरीत रीति से स्वीकार कर निर्णित लिया जिससे दु:खी हो पुन:रीक्षणकर्ता अन्य कई आधारों के साथ

R-1414-II/13 (हक्कपत्र)

4.10.16.	आवश्यक त्यांचे प्रकरण [illegible] करिता आदेश [illegible] [illegible] [illegible] प्रकरण [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] अभिलेखागार [illegible] [illegible] [illegible] (सही) दिवाणी	